

तारीख  
हुकम

सुरजा शुभ (कनाक सुरजा लाल)

31/5/18 पत्रावली पेशा हुई। उभय पक्ष  
उपस्थित। राजस्व लोक अदालत  
अभिमान - न्याय आपने कर-20/6/18  
में अलग खोले। तब की बातें नहीं  
हो रही। पत्रावली वालों का पक्ष  
तब की हद दिनांक 20/6/18 को  
बैम्प कुवाला (ब) पेशा

उपखंड अधिकारी पदेन  
सहायक कलक्टर करेडा

20.6.18 पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर  
के दौरान शु. कुवाला (न) पेशा हुई।  
कैरत उभय पक्ष मारान उपस्थित। हमने साध  
तैजसम पेशे मार मार भी उपस्थित आया  
मेमत। वादी ने वाद पत्र दोहराते हुए निवेदन किया  
कि 0.12 दलौड़ी स्थित आंक 200

सुरजा 2000 1.12 लीघा अमि शुना बिक  
जमा के की सेवत 2068-2071 के अंतर्गत  
सेख्या 216 में वादीगण के नाम दर्ज है।  
है जिसपर वादीगण का लिज होकर मारत  
कर रहे हैं आराजी नं. 200 के लजा मल  
शेडे निम्ना हुआ है। जिस पर 2 विश्व  
प्रतिवादी सेख्या 01 से 03 शेडे के प्रवेशिका  
की अमि हड़पना चाहिए है।

इसके विपरीत विपली द्वारा 2905 का  
प्रस्तुत करने हुए निवेदन किया कि वह  
स्वयं की खाले वाली अमि में 20। अपूर्विक  
कलेन मारत है। जमीन हड़पन अथवा  
मलत की नीमत का उमरत में कोई  
प्रमाण पेश नहीं हुआ है।


न्यायालय उपखंड अधिकारी  
पदेन सहायक कलेक्टर  
कोरगा (भीलवाड़ा)

36/17 वाद

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तारीख  
में जारी हुए

न्यायालय परीकार आरकार के इस  
कथन से सहमत है कि वादीगणों का  
अन्तर्गत धारा 188 R.T. Act निम्न  
प्रतिवादीगण प्रस्तुत करने से पूर्व रकमों  
की प्रकृति पत्परगाही कखानी याद्वि  
एवं दौरान पत्परगाही यदि प्रतिवादी  
गण का दखल सिद्ध होता है तब ही  
उक्त धारा के तहत वाद स्वीकार  
योग्य होगा।

समस्त पक्षकारान् को सुनने  
के पश्चात् गुणावगुण के आधार  
पर वादी का वाद निम्न प्रतिवादी  
गण आस्वीकार किए जाने के  
आदेश उदान किए जाकर वाद  
पुत्र खारिज किया जाएगा।  
पालना में लक्ष्मीलक्षार करदेव को  
लिखा जाके लक्ष्मीलक्षार डिप्टी  
गुणिले हो। पत्परगाही दरिस्तर  
से कम हो जोसल सुमार हो।  
निश्चि आज दिनांक 20.6.18 को  
सबे ईजलास सुनाया गया।

  
उपखंड अधिकारी पदेन  
सहायक कलेक्टर कोरगा

मूलवाद में डिक्री  
( आदेश 20 के नियम 6 और 7 )

मूल्य उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ..... करड़ा  
( पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट )

पीठासीन अधिकारी :- .....

असुरमा १० नंग, पीठासीन अधिकारी उन्धान  
वर्ग ४ बि-६ तेंडी बनाम SA सुरवा १० नंग  
वा वावत ५/५/१८८२ न. अ. एवं आदेश ११ तेंडी वडी.

मुकदमा नम्बर :- ३६/१७ सूच वार

निर्णय दिनांक :- २०/६/१८

वादी की ओर से करड़ा की व प्रतिवादी की ओर से उदियारी गज


की उपस्थिति में इस वाद में अज्ञ तारीख २०/६/१८ को उपस्थित ( नाम पीठासीन अधिकारी )

उपखण्ड अधिकारी करड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

~~वादी का वाद विरुद्ध उदियारी गज, अहीकार कि ये जाने के आदेश प्रदान किने जाने से वाद खत्म रवा ज कि प्र जाता है~~

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख २०/६/१८ को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुदा लगाकर दी गई।

  
(  
पीठासीन अधिकारी  
उपखंड अधिकारी एवं  
सहायक कलक्टर करड़ा  
पदेन सहायक कलक्टर .....

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			
जोड़		जोड़	

अनुसूची  
(विशेष राज्य के अंग के संबंध में)

- 1. श्री सुरजा 90 नंगली बुर्ज
- 2. श्री केशव 90 नंगली बुर्ज

विवरण

- 1. श्री सुरजा 90 नंगली बुर्ज
- 2. श्री केशव 90 नंगली बुर्ज
- 3. श्री सुरजा 90 नंगली बुर्ज
- 4. राजा राज्य परिषद तहसील

उक्त

विशेष राज्य के अंग के संबंध में

विशेष राज्य के अंग के संबंध में